

राजस्थान सरकार
निदेशालय, कोष एवं लेखा, राज., जयपुर

क्रमांक : एफ.3(ख)एच-886/2013/अलेसे-II/ 627

दिनांक :- 08/05/2025

कार्यालय आदेश

श्री हंसु कुमार अग्रवाल, सहायक लेखाधिकारी (लिंक नं. 11631) को निदेशालय के कार्यालय आदेश क्रमांक 2033 दिनांक 13.01.2025 के द्वारा आदेशों की पालना नहीं करने के कारण निलम्बित करते हुए (निलम्बन काल में) मुख्यालय निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर में किया गया था, जिसकी पालना में श्री अग्रवाल के द्वारा दिनांक 16.01.2025 को अपनी उपस्थिति प्रस्तुत की गई। अतः श्री हंसु कुमार अग्रवाल, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II (निलम्बित) को उनके निलम्बन काल में नियमानुसार निर्वाह भत्ता देय होगा।

(बृजेश किशोर शर्मा)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक : एफ.3(ख)एच-886/2013/अलेसे-III/ 627

दिनांक :- 08/05/2025

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक (प्रशासन), कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि श्री अग्रवाल के निर्वाह भत्ता आहरण के क्रम में आवश्यक कार्यवाही संपादित कराने का श्रम करावें।
3. श्री हंसु कुमार अग्रवाल, सहायक लेखाधिकारी (लिंक नं. 11631)(निलम्बित) मुख्यालय निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर।
4. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक महोदय।
5. उप निदेशक(एसीपी) कार्यालय हाजा।
6. पदस्थापन शाखा/ निजी पत्रावली/ रक्षित पत्रावली।

/s/ 
संयुक्त निदेशक (कार्मिक-II/III)